



संदर्भ सं0 3/Power/13960/2

16 जून 2020

चेयरमैन
उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०
लखनऊ

विषय : उत्तर प्रदेश के उद्योगों को लॉकडाउन में बन्दी की अवधि के बिजली बिलों में फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज की छूट के सम्बन्ध में तथा उसके उपरान्त बिजली की खपत के अनुपात में 1 वर्ष तक फिक्स्ड चार्ज लागू कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको ज्ञात ही है कि कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत कम औद्योगिक इकाईयों के अतिरिक्त सभी औद्योगिक इकाईयों लगभग 2.5 माह तक बन्द रही है। आज यह इकाईयों अपना उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रयास कर रही है परन्तु मॉग व सप्लाई चेन अभी भी बाधित है जिसके कारण यह इकाईयों औसतन 25 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर ही काम कर पा रही है। पूरी उत्पादन क्षमता तक पहुँचने में इन इकाईयों को कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा।

इस समस्या का आभास उत्तर प्रदेश सरकार तथा मननीय मुख्यमंत्री को बहुत पहले हो गया था जब 1 अप्रैल 2020 को यह घोषणा की थी कि लॉकडाउन की अवधि में उद्योगों से बिजली का फिक्स्ड/डिमांड चार्ज नहीं लिया जायेगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का प्रदेश के सम्पूर्ण उद्यमियों ने स्वागत किया था।

आज आपके विभाग (ऊर्जा विभाग) ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिल उद्योगों को जारी कर दिये हैं जिसमें सम्पूर्ण लॉकडाउन अवधि के फिक्स्ड/डिमांड_चार्जेज की मॉग की गई है। वर्तमान में उद्योग खासतौर पर सुक्ष्म एवं लघु किसी प्रकार से बिजली के वास्तविक उपभोग का भुगतान करने के लिए तैयार है परन्तु अत्यन्त धनाभाव के कारण वे फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज देने की स्थिति में नहीं हैं। आने वाले लगभग एक वर्ष तक भी वे पूरा फिक्स्ड/डिमांड चार्ज देने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे यद्यपि विद्युत उपभोग के समानुपात फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज किसी प्रकार दे पाएंगे।

अतः यदि इन उद्योगों को अविलम्ब लॉकडाउन अवधि के फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज से राहत नहीं दी गई तो अनेक उद्योग बिजली का बिल न दे पाने की स्थिति में रुग्ण एवं बन्द हो सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2020 के मननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के विपरीत उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने अपने आदेशों में फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज स्थगित ही किये थे न कि छूट दी थी। इस सम्बन्ध में आई0आई0ए0 द्वारा आपको अपने पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2020 द्वारा भी सूचित किया था।



और निवेदन किया था कि मननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज से छूट देने की कृपा करें।

यह भी सूचनीय है कि अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड, पंजाब द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज में लॉकडाउन अवधि के लिए छूट दे दी गयी है।

यह छूट पंजाब के उद्योगों को 23 मार्च 2020 से 2 माह के लिए इस शर्त के साथ दी गई है कि उद्योगों को पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन द्वारा निर्धारित इस अवधि के लिए संशोधित एनर्जी चार्जेज देने होंगे। उत्तराखण्ड में 33% फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज कीं छूट दे दी गई है। यह छूट उत्तराखण्ड ऊर्जा विभाग द्वारा उनको विद्युत उत्पादन इकाईयों द्वारा फिक्स्ड चार्जेज में दी गई छूट के एवेज में उपभोक्ताओं को विस्तारित की गई है। हमे ज्ञात हुआ है कि विद्युत उत्पादन इकाईयों द्वारा उ०प्र० ऊर्जा विभाग को भी फिक्स्ड चार्जेज में छूट दी गई है जिससे उ०प्र० के उपभोक्ताओं को विस्तारित करना उचित होगा।

उ०प्र० सरकार आव्हान पर आई०आई०ए० एवं उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमी प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के लिए प्रयासरत हैं। इन उद्योगों को फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज से छूट की राहत से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अधिक रोजगार दे सकेंगे। इसलिए यह छूट अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के उद्देश्यों और राजस्व में भी सहायता करेगी।

अतः निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में बन्द पड़े उद्योगों को बिजली बिलों में इस अवधि के लिए फिक्स्ड/डिमांड चार्जेज पर पूरी छूट देने की कृपा करें तथा आगे एक वर्ष तक बिजली की खपत के अनुपात में यथा बिल चक्र में अधिकतम डिमाण्ड पर ही फिक्स्ड चार्जेज लिये जाये।

आशा है कि आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर प्रदेश के उद्योगों को रहत देने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद

मनमोहन अग्रवाल

महासचिव